ग्राम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/9/25	श्री [illegible] 3138 दिनांक 25.06.2025 द्वारा [illegible] न्यायालय सहायक कलक्टर (प्र.श्रे.) चौमूं में पेश हो। 9/9/25 को उपखण्ड अधिकारी चौमूं।	
	3/10/25	पत्रावली ग्राम कोर्ट से स्थानान्तरण होकर पेश हुई दर्ज रजिस्टर [illegible] किया गया / तहसीलदार चौमूं की [illegible] रिपोर्ट प्राप्त [illegible] [illegible] किया गया / पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु दिनांक 13/10/25 को पेश हो / [signature]	
	13/10/25	व. वादी उप / गवाह प्रदर्शित से प्रश्न चीफ की गई दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किया गया / और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं साक्ष्य वादी [illegible] का अवसर [illegible] पत्रावली वास्ते बहस सुनी [illegible] दिनांक 15/10/25 को आदेश हेतु पेश हो / [signature]	
	15/10/25	व. वादी उप / बहस पर मनन किया गया / पत्रावली का अवलोकन किया गया / वादीगण का वाद अस्वीकार [signature]	

फर्द अहकाम

रघुनाथ [illegible] बनाम गोपाल वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 370/118/2019 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		किया जाकर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विविध प्रकरण की मिसल जाकर शामिल पत्रावली किया जाये। प्रकी पत्रावली [illegible] हो पत्रावली प्रकरण [illegible] खारिज होकर [illegible] [illegible] बेस काम हो तथा [illegible] इंदराज हो। [signature] सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमू जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–370 / 118 / 19

उनवान

1. रघुनाथलाल सैनी पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी (मृतक दौराने दावा)
   1/1 गोपाल लाल पुत्र स्व. रघुनाथ
   1/2 प्रह्लाद पुत्र स्व. –रघुनाथ
   समस्त जाति माली, निवासी प्लाट नम्बर 59, गोपी नगर 80 फीट रोड सांगानेर, जयपुर, जिला जयपुर।
   1/3 संतोष पुत्री पुत्र स्व. रघुनाथ पत्नी अशोक कुमार सैनी, जाति माली, निवासी माधो विलास रोड के पीछे, ब्रह्मपुरी, जयपुर, जिला जयपुर।
   1/4 रेखा देवी पुत्री स्व. रघुनाथ पत्नी मनोज सौलंकी, जाति माली, निवासी ग्राम राईकाबाग बस स्टेण्ड, विदयाद, तहसील परबतसर, जिला नागौर।
   1/5 लक्ष्मी देवी सैनी पुत्री स्व. रघुनाथ, जाति माली, निवासी गोपी नगर 80 फीट रोड सांगानेर, जयपुर, जिला जयपुर।
2. चांदनारायण पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी (मृतक दौराने दावा)
   2/1 गौरा देवी पत्नी स्व. श्री चांदनारायण सैनी
   2/2 गोविन्द सैनी पुत्र स्व. श्री चांदनारायण सैनी
   2/3 देवेन्द्र सैनी पुत्र स्व. श्री चांदनारायण सैनी
   समस्त जाति माली, निवासी जयलाल मुंशी का रास्ता, पांचवा चौराहा पुरानी बस्ती, जयपुर।
   2/4 बेबी सैनी पुत्री स्व. श्री चांदनारायण सैनी पत्नी श्री विनोद कुमार सैनी, जाति माली, निवासी बगरूवालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. शंकरलाल पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. अशोक सैनी पुत्र कल्याण सैनी, जाति माली
6. मुकेश सैनी पुत्र कल्याण सैनी, जाति माली
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व. रघुवरदयाल
2. बाबू पुत्र स्व. रघुवरदयाल
3. श्याम पुत्र स्व. रघुवरदयाल
4. बिरदीचंद पुत्र स्व. रघुवरदयाल
5. सुशील पुत्र स्व. रघुवरदयाल
6. लाला पुत्र स्व. रघुवरदयाल
7. नन्छी पत्नी स्वर्गीय रघुवरदयाल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

9. प्रभू सैनी पुत्र स्व. नारायणलाल सैनी
10. छीतर सैनी पुत्र स्व. नारायणलाल सैनी
11. गौरा पत्नी स्व. नारायणलाल सैनी 11.
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–15.10.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें समस्त पक्षकार बालिग हैं। प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 चूंकि रूढ्या के वारिस हैं और उक्त जमीन में 1/3 हिस्सा के हिस्सेदार हैं किन्तु वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए तरतीवी पक्षकार बनाया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण पूर्वज रूढ्या पुत्र मंशा माली के वारिसान हैं। उक्त सम्पत्ति वादीगण के पूर्वज श्री रूढ्या की थी और रूढ्या के तीन सन्तान 1. ईश्वरलाल सैनी, 2. रघुवरदयाल, 3. नारायणलाल सैनी तीन पुत्र जो कि हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार 1/3–1/3 हिस्से के उत्तराधिकारी हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रूढ्या के समय से चली आ रही कब्जे काश्त और खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नं. 1592 रकबा 11 हैक्टेयर, 1593 रकबा 24 हैक्टेयर, 1598 रकबा 76 हैक्टेयर कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 63/2246 से बने हैं जो कि बाके ग्राम मौरीजा, तहसील चौमू, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। वादी के पूर्वज रूढ्या का देहावसान बन्दोवस्त की कार्यवाही सम्वत 2010 से 2023 के दौरान हो गया था। रघुवर दयाल जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का पिता एवं 7 का पति था, कर्ता खानदान है। उसने अपने आपको रूढ़या का एकमात्र वारिस बताते हुए बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त समस्त आराजी बिना किसी हक व अधिकार के अपने स्वयं के अकेले के नाम करवा ली जबकि हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों के अनुसार रूढ्या के तीन पुत्र वारिस हैं जो कि उसकी सम्पत्ति में 1/3–1/3 के हिस्सेदार हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में उक्त आराजी एकमात्र रघुवश्यक नाम दर्ज है जो कि गलत है। चूंकि वादीगण के पूर्वज रुडया का देहान्त हो जाने के उपरान्त उक्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से अनुसार

उक्त आराजी को मौके पर मनबट के हिसाब से बांटकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अपने निजी उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं तथा उक्त भूमि का कानूनन ना तो कभी बंटवारा हुआ और ना ही रघुवरदयाल ने वादीगण के जोतने बोने पर कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति मौखिक व कानूनी रूप से प्रस्तुत नहीं की। वर्तमान में कुछ समय पूर्व रघुवर दयाल का देहवसान हो गया है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिस वर्तमान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उक्त भूमि का नामान्तकरण एकाएक बिना किसी हक व अधिकार के अपने नाम कराने पर उतारू हैं तथा नाम कराने के साथ–साथ उक्त भूमि को दीगर, संदिग्ध बाहुबली व्यक्तियों को बेचने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त चाल में सफल होते हैं तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और वादीगण के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि वादीगण उक्त भूमि में पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण जन्म से ही अपना हक रखते है तथा वर्तमान में काबिज काश्त हैं तथा वादीगण के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई ऐसी भूमि नहीं है जिसके आधार पर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसीलिए वादीगण राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई गलत एन्ट्री एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज रघुवरदयाल द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर साज पूर्वक कराई गई भूमि उक्त आराजी वर्णित पैरा नं. 4 में वर्णित आराजी को अपने नाम घोषणा करा पाने के अधिकारी हैं साथ ही वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अम्र की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि उक्त आराजी वर्णित मद संख्या 4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हिस्से अनुसार 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार का अमल दरामद किये जाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत ना करें तथा ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि वादीगण एवं उनके हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे तथा दीगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति को दौराने दावा रहन, यय, मुन्तकिल ना करें। दिनांक 17.02.2015 को वादीगण अपनी उक्त आराजी की देखभाल कर रहे थे तो उस दौरान प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी पर दीगर व्यक्तियों को लेकर आया और उनसे कहा कि यह आराजी मुझे बेचनी है तथा वादीगण को यह एलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी को बेचकर सम्पूर्ण रकम एकाएक अपने पास रखकर वादीगण को उनके हिस्से से महरूम रखेगा। ऐसी स्थिति में वादीगण ने पटवारी हल्का से जाकर सम्पर्क किया तो वादीगण को गलत इन्दाजात के बारे में मालूम चला तब जाकर वादीगण ने नकल प्राप्त की और यह दावा पेश करना लाजमी आया ।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि विवादित आराजी वर्तमान खसरा नं. 1592 रकबा 11 हैक्टेयर, 1593 रकबा 24 हैक्टेयर, 1598 रकबा 76 हैक्टेयर कुल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 1.11 हैक्टेयर बाके ग्राम मौरीजा, तहसील चौमू, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है में वादीगण को अपने हिस्से अनुसार 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का 1/3 हिस्से का और प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त प्रकार का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे तथा 1 लगायत 7 को पाबन्द किया जावे दौराने वाद पत्र उक्त विवादित आराजी का नामान्तकरण अपने पक्ष में नहीं करावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी में अपने हिस्से में कब्जे, काश्त वादीगण को दौराने दावा प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करें तथा अन्य ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कि वादीगण के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे व अन्य किसी दीगर शक्तिशाली व्यक्ति को रहन, वय, मुन्तकिल ना करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र देवेन्द्र सैनी, गोविन्द सैनी, प्रहलाद सैनी, गोपाल सैनी के पेश किये जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श संख्या 1 लगा0 7 का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में वादीगण के द्वारा वादपत्र के मद नम्बर 9(1) व 9(2) में वर्णित अनुतोष वादीगण के द्वारा वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात, बहस आदि से किसी प्रकार से पैतृक सम्पति होना साबित नहीं होता है जिससे वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0)चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–370 / 118 / 19

उनवान

1. रघुनाथलाल सैनी पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी (मृतक दौराने दावा)
   1/1 गोपाल लाल पुत्र स्व. रघुनाथ
   1/2 प्रह्लाद पुत्र स्व. –रघुनाथ
   समस्त जाति माली, निवासी प्लाट नम्बर 59, गोपी नगर 80 फीट रोड सांगानेर, जयपुर, जिला जयपुर।
   1/3 संतोष पुत्री पुत्र स्व. रघुनाथ पत्नी अशोक कुमार सैनी, जाति माली, निवासी माधो विलास रोड के पीछे, ब्रह्मपुरी, जयपुर, जिला जयपुर।
   1/4 रेखा देवी पुत्री स्व. रघुनाथ पत्नी मनोज सौलंकी, जाति माली, निवासी ग्राम राईकाबाग बस स्टेण्ड, विदयाद, तहसील परबतसर, जिला नागौर।
   1/5 लक्ष्मी देवी सैनी पुत्री स्व. रघुनाथ, जाति माली, निवासी गोपी नगर 80 फीट रोड सांगानेर, जयपुर, जिला जयपुर।
2. चांदनारायण पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी (मृतक दौराने दावा)
   2/1 गौरा देवी पत्नी स्व. श्री चांदनारायण सैनी
   2/2 गोविन्द सैनी पुत्र स्व. श्री चांदनारायण सैनी
   2/3 देवेन्द्र सैनी पुत्र स्व. श्री चांदनारायण सैनी
   समस्त जाति माली, निवासी जयलाल मुंशी का रास्ता, पांचवा चौराहा पुरानी बस्ती, जयपुर।
   2/4 बेबी सैनी पुत्री स्व. श्री चांदनारायण सैनी पत्नी श्री विनोद कुमार सैनी, जाति माली, निवासी बगरूवालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. शंकरलाल पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. अशोक सैनी पुत्र कल्याण सैनी, जाति माली
6. मुकेश सैनी पुत्र कल्याण सैनी, जाति माली
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व. रघुवरदयाल
2. बाबू पुत्र स्व. रघुवरदयाल
3. श्याम पुत्र स्व. रघुवरदयाल
4. बिरदीचंद पुत्र स्व. रघुवरदयाल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ जयपुर

5. सुशील पुत्र स्व. रघुवरदयाल
6. लाला पुत्र स्व. रघुवरदयाल
7. नन्छी पत्नी स्वर्गीय रघुवरदयाल
   समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

9. प्रभू सैनी पुत्र स्व. नारायणलाल सैनी
10. छीतर सैनी पुत्र स्व. नारायणलाल सैनी
11. गौरा पत्नी स्व. नारायणलाल सैनी 11.
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–370 / 118 / 19

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादीगण के द्वारा वादपत्र के मद नम्बर 9(1) व 9(2) में वर्णित अनुतोष वादीगण के द्वारा वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात, बहस आदि से किसी प्रकार से पैतृक सम्पति होना साबित नहीं होता है जिससे वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 15.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर
ओहदा..........